न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 87/2008

वादीः–

1. सत्यनारायण गेहलोत पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी जालोरिया का बास, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. हीजहाईनेस दी महाराजा साहब जोधपुर श्री गजेसिंहजी साहब ठिकाना उम्मेद भवन, जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

वाद अंतर्गत धारा 88,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–ःआदेशः– **दिनांक** 20.05.19

1. प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने यह वाद अंतर्गत धारा 88,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। वादी ने इस वाद के द्वारा सरहद मौजा भाम्बोलाई में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 23 रकबा 1979 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से रकबा 30.00 बीघा भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा जिस भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हिजहाईनेश श्री महाराजा साहब जोधपुर श्री गजेसिंह साहब की खातेदारी में दर्ज हैं। वर्तमान में दर्ज खातेदार हिजहाईनेश श्री महाराजा साहब जोधपुर श्री गजेसिंह साहब के विरूद्ध सीलिंग अधिनियम पुराने एवं नये कानून के तहत उप खण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में प्रकरण संख्या 35/71 व 227/73 विचाराधीन है जिनमें सुनवाई तारीख 30–06–2017 निर्धारित है। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अध्याय – viii में धारा 36 के प्रावधान इस प्रकार से हैः–

36. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**– (1) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को, किसी ऐसे प्रश्न अथवा मामले को विनिश्चित् करने या उस पर कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जिस पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विश्चिय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(2) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को, भूमि के अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उस पर कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिमतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अध्याय– viii में धारा 36 के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के कारण वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित वाद है तथा वादी के वाद को इस न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नहीं होने से आदेश 7 नियम 11(घ) सी.पी.सी. के तहत खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें एवं वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,92ए, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण केवल मात्र प्रतिवादी संख्या एक हिज हाईनेस श्री महाराजा साहब के विरूद्ध वादी द्वारा खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा हेतु समय चाहा और बाद में पेशी दिनांक 27–02–17 को उपरोक्त प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति नहीं दी जाने पर जवाबदावा बंद कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 27–03–17 को नियत की थी। उपरोक्त दिनांक को वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किए, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना किसी आवेदन और बिना किसी कारण के वादी की साक्ष्य नहीं ली जाकर प्रतिवादी संख्या दो के रूप में राज्य सरकार को पक्षकार बनाए जाने हेतु वादी को कम्पैल किया गया और पत्रावली संशोधित शीर्षक व तहसीलदार की तलबी हेतु दिनांक 6–4–17 को नियत की गई। पेशी दिनांक 6–4–17 को प्रतिवादी संख्या दो की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए, दावे में नकल दी गई और वास्ते जवाबदावा पत्रावली दिनांक 1–5–17 को नियत की गई। पेशी दिनांक 1–5–17 को पत्रावली कैम्प कोर्ट सांपा में नियत की गई और कैम्प कोर्ट में प्रतिवादी संख्या दो की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 का इस आशय से पेश करवाया गया ताकि कैम्प कोर्ट में निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढाए जाने के उद्देश्य से इस आवेदन पर ही प्रकरण को निर्णित कर खारिज कर दिया जावे। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पहले से ही प्रकरण को कैम्प कोर्ट में निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से खारिज करने का आशय स्पष्ट व प्रकट कर दिया है, क्योंकि उक्त दिनांक को पक्षकारों को बिना नोटिस दिए ही कैम्प कोर्ट में पत्रावली रखी जाकर न्यायालय के रीडर महोदय द्वारा अधिवक्ता को फोन से कैम्प में उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया। जूनियर अधिवक्ता कैम्प कोर्ट ग्राम सांपा में उपस्थित हुए और उक्त आवेदन के जवाब हेतु समय चाहा तब पीठासीन अधिकारी ने उसी दिन आवेदन के आधार पर वाद को निर्णित करने की मंशा जाहिर की, लेकिन अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिए जाने पर बड़ी मुश्किल से पत्रावली को इल्तवा करने हेतु कहा गया, लेकिन कोई दिनांक नहीं दी गई। दिनांक 09–06–17 को न्यायालय के रीडर महोदय का अधिवक्ता के पास फोन आया कि उपरोक्त प्रकरण को पाली न्यायालय में ही दिनांक 16–6–17 को सुनवाई हेतु नियत किया गया है इसलिए उपस्थित हो जाए। इस कारण से उपरोक्तानुसार आज अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी जा रही है। चूंकि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब तो पेश किया ही जा रहा है, लेकिन उपरोक्त वाद को पहले से ही कैम्प कोर्ट में संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से आदेश 7 नियम 11 के आवेदन के आधार पर ही निर्णित करना पीठासीन अधिकारी ने पूर्व कैम्प कोर्ट में जाहिर कर दिया था ऐसी स्थिति में आवेदन एवं प्रकरण का विधिवत् रूप से वादी श्रीमान् से निस्तारण नहीं करवाना चाहता है और प्रकरण को विधिनुसार अन्य न्यायालय में अन्तरण करवाने हेतु कार्यवाही करना चाहता है इस कारण से उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाकर पत्रावली को इल्तवा की जावे। प्रकरण वर्ष 2016 अक्टूबर में ही दर्ज हुआ है और वादी की ओर से किसी प्रकार कोई अवसर कभी भी नहीं लिया गया है। पदानुसार आवेदन का जवाब में लिखा है कि पद संख्या एक में वर्णित तथ्यों के उत्तर की आवश्यकता नहीं है। पद संख्या दो में वर्णित तथ्यों का उत्तर है कि गलत रूप से उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में महाराजा साहब के नाम दर्ज चली आ रही है। पद संख्या तीन में वर्णित तथ्यों का उत्तर है कि इस बाबत वादी को कोई जानकारी नहीं है और वादी ऐसे किसी प्रकरण में पक्षकार नहीं है। पद संख्या चार में वर्णित तथ्यों का उत्तर है कि धारा 36 को बिना पढ़े ही उपरोक्त आवेदन न्यायालय में गलत तथ्य दर्ज करते हुए पेश किया है। उक्त पद में धारा 36 को यथावत दर्ज किया है, जिस अनुसार भी वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर उक्त धारा न तो बाधित बनती है, न ही वादी को अपने अधिकारों से रोकती है। धारा 36 (1) में यह उल्लेखित है कि सीलिंग अधिनियम या उसकी अधीन प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा विनिश्चिय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, उस संबन्ध में सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को अधिकारीता नहीं होगी। इस अनुसार प्राधिकृत अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी द्वारा न तो ऐसा विनिश्चय किया गया है, न ही कोई कार्यवाही अपेक्षित है केवल मात्र सीलिंग प्रकरण लंबित होने मात्र से खातेदारी घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के वाद पर किसी प्रकार का उक्त धारा का

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

वर्जन नहीं है। इसी अनुसार धारा 36 (2) अनुसार किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित वाद को ग्रहण करने पर रोक है। वादी का वाद संविदा की विनिर्दिष्ठ पालना का नहीं होकर खातेदारी उद्घोषणा का है। इस संबन्ध में 1991 आर.आर.डी. पेज 357, 1980 आर.आर.डी. पेज 93, 1985 आर.आर.डी. पेज 96 का अवलोकन फरमावें, जिससे सारी स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि सीलिंग प्रकरण से संबन्धित भूमि बाबत भी खातेदारी घोषणा और निषेधाज्ञा का वाद किया जा सकता है। इस बाबत किसी प्रकार की रोक नहीं है। आवेदन प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है, जिसे खारिज किए जाने हेतु वादी निवेदन करता है। अतः प्राथमिक आपत्ति मय जवाब पेश कर निवेदन है कि प्राथमिक आपत्ति स्वीकार फरमावें एवं प्राथमिक आपत्ति में वर्णित आधारों पर प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे।

3. बहस प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष की सुनी गई।

4. विद्धान सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपरोक्त जमीन वर्तमान में हिज हाईनेस के नाम दर्ज है, जमीन हिज हाईनेस के खातेदारी में दर्ज है तथा हिज हाईनेस के विरूद्ध नए एवं पुराने एक्ट के तहत उप खण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में प्रकरण संख्या 35/71 तथा 227/73 विचाराधीन है जिसमें पूरे पाली जिले की जमीनें शामिल हैं खसरा नंबर 23 रकबा 1979.10 बीघा है जिसका मामला सीलिंग एक्ट में दर्ज होने की वजह से वहां विचाराधीन हैं हिज हाईनेस के प्रतिनिधि ने 1997 में उप खण्ड अधिकारी सोजत के यहां उपरोक्त जमीन के लिए लिखित में दे रखा है कि उपरोक्त जमीन से हमारा कोई लेना–देना नहीं होने के कारण यह जमीन अपने आप ही राज्य सरकार में वेस्ट हो जाती है। चूंकि यह जमीन ऑलरेडी सीलिंग एक्ट में दर्ज होकर उप खण्ड अधिकारी, सोजत के यहां विचाराधीन है इसलिए इस न्यायालय में वादी का खातेदारी अधिकार मांगने का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्त किए जाने योग्य है।

5. विद्धान अभिभाषक वादी ने बहस के जवाब में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 की एकमात्र आपत्ति यह प्रकट करती है कि यह दावा एस.डी.ओ. सोजत के यहां सीलिंग एक्ट के तहत दर्ज होकर विचाराधीन है इसलिए यहां नहीं चल सकता। यह दावा 88 आर.टी.एक्ट के तहत है, क्या आर.टी.एक्ट वादी को debar करता है कि यदि दावा सीलिंग एक्ट में दर्ज है तो वह 88 में नहीं आ सकता। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की आवश्यक शर्तें है। सीलिंग एक्ट अलग एक्ट है। राजस्थान टिनेंसी एक्ट अलग एक्ट है। चूंकि सीलिंग एक्ट के तहत विवादित किया है लेकिन उसकी कोई आदेशिका इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई है। यह मान भी लिया जावे कि वहां विवादित है तो कौन–सी विधि के तहत वर्जित है? आदेश 7 नियम 11 के कौन से उपनियम के तहत वर्जित है? धारा 36 सीलिंग उप नियम 1 व 2 दर्शा कर आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद वर्जित बताया है। इसी भूमि की पृष्ठभूमि में बाबुकंवर बनाम हिज हाईनेस पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16–11–15 की आदेशिका का अवलोकन करावें जिसमें तहसीलदार को वास्ते जवाबदावा के लिये कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने जवाबदावा के स्थान पर आदेश 7 नियम 11 की एप्लीकेशन पेश कर दी। इसी गांव के इसी खसरे की भूमि के संबन्ध में पूर्व में मेरिट पर डिसाईड किये जाकर वाद खारिज किए गए जिसकी अपील की गई तथा अपीलांट कोर्ट ने निर्णय पारित कर वाद को डिक्री किया गया है जिसकी पालना होनी है। ऐसे ही एक similar case में बने कंवर में दिनांक 12–03–99 को राज्य सरकार की उपस्थिति में इसी कोर्ट द्वारा डिक्री की गई जिसकी पालना में म्यूटेशन संख्या 321 भरा गया, जमाबंदी में अमल दरामद किया गया। similar case में पालना करते है तथा अब आदेश 7 नियम 11 में प्रार्थना पत्र पेश करते है। 1991 आरआरडी पेज 397 का अवलोकन करावें जिसमें धारा 36 को विवेचित किया गया है। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश नहीं किया है जवाबदावा बंद किया जावे। आपके द्वारा जो बिन्दु उठाये गये है वो तनकियात कायम की जाकर भी निर्णीत किये जा सकते है न कि आदेश 7 नियम 11 के तहत निर्णय पारित किया जाकर।

6. विद्धान सरकारी पैरोकार ने बहस के जवाब में निवेदन किया कि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत कर दिये जायेगें कि सीलिंग एक्ट के तहत प्रकरण

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

विचाराधीन हैं। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में धारा 36 सीलिंग एक्ट को विवेचित किया गया है। वादी के इस वाद में राज्य सरकार के अधिकार सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का मुख्य आधार ही उप नियम 1 व 2 को ही बनाया गया है। वादी द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, पाली को वाद में पक्षकार बनाया ही नहीं गया ताकि वे सीधे हिजहाईनेस से लाभ ले सके। हिजहाईनेस द्वारा स्वयं लिख कर दे देने से राज्य सरकार का हित इसमें निहित हो जाता है और यह जमीन राज्य सरकार के खाते में ही आयेगी। आर.ए.ए. के जिस फैसले का वादी द्वारा हवाला दिया है उसकी अमल 3 वर्ष तक नहीं हुआ क्योंकि उसमें राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया था। आर.ए.ए. के फैसले को अमल करने के लिये हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी कर रखे है कि अपीलांट की अभ्यर्थना को सुनकर वे उसका निश्चय करें। वो प्रकरण भी तहसीलदार के यहां जो अभ्यर्थना आयी है उसकी प्रोसिडिंग शुरू हुई है। Implementation ही हुआ है। आर.ए.ए. जो प्रकरण वादी द्वारा विनिर्णित होना बताया गया है उसमें भी राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया जाकर न्यायालय को गुमराह किया गया है। धारा 36 का बिन्दु संख्या 2 स्पष्ट कर रहा है कि राज्य सरकार का हित प्रभावित न हो तो.. और इसमें सीधे–सीधे राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है इसलिए वादी के इस वाद को निरस्त फरमाया जावे।

7. विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि इन सब दावों, जो आज की तारीख में सुनवाई हेतु नियत है, भूमिधारी तहसीलदार एक पक्षकार बनाया गया है। रामसिंह, भरतसिंह केस में भी तहसीलदार एक पार्टी थे, फैसले की पालना की गई, रिकॉर्ड में भी अमल अदामद किया गया। धारा 36 न्यू एक्ट के उप नियम 2 – स्पेसिफिक परफोरमेंस की अधिकारिता सिविल कोर्ट को ही है रेवेन्यु कोर्ट में नहीं, आपके कोर्ट में ही है। 1995 आरआरडी पेज 96 का हवाला देकर निवेदन किया कि मुझे डिक्लेरेशन के तहत इस न्यायालय में आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एक स्पेसिफिक एक्ट है। विद्वान अभिभाषक वादी ने प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र भारी कॉस्ट के साथ खारिज करने का निवेदन किया।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत आरआरडी 1985 पेज 97 के अनुसार–

Raj. Tenancy Act, Sec. 30-E(2), second proviso_ Resps. 'P' & 'N' surrendred excess ceiling land- Petitioners claim that they are Khatedars of such land and there is decree in their favour against 'P' & 'N' , so such land, not liable to be resumed- Held, 'P' & 'N' should be asked to surrender excess land out of land in their possession-If obligation of 'P' & 'N' for any reason cannot be enforced against them in respect of land in their possession then it would be open to petitioners to file suit for declaration and injunction not only against 'P' & 'N' but also against 'State'.

RRD 1991 Page 397:-

(a) Raj Imposition of Ceiling on Agri. Holdings Act, 1973 (New Ceiling Law), Section 23-

Appeal by 'K' alleging that his Khatedari land has been taken over and entered as sawai chak in ceiling proceedings against 'V' - Held, appeal is not maintainable since 'K' was neither as assesee nor a party in the ceiling proceedings - The proper remedy for him is to file a suit for declaration, possession or injustion, as the case may be (Paras 12, 13)

(b) Raj Imposition of Ceiling on Agri, Holdings Act, 1973 (New Ceilling Law), Section 36 &

The section bars the Jurisdiction of civil or revenue courts only in respect of matters required to be decided or dealt with by the Autorised Officer - Declaration of Khatedari of issue of injunction is not to be decided by ceilling authorities and, therfore, the Jurisdiction of the civil or revenue courts in such matters is not barred - The frame of the suit is important for jurisdiction - So long as the plaintiff seeks a declaration of his khatedari or an injunction against the State, there is no problem but he cannot question the correctness of the assessment in such suit. (Para 12)

(c) Rajasthan Tenancy Act, Section 88 & 188-

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, बइजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 87 सन् 2008

अंतर्गत धारा 88,92ए,188 आर.टी.एक्ट,1955

वादी:–

1. सत्यनारायण गेहलोत पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल जाति माली निवासी जालोरिया का बास, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम प्रतिवादीगण:–

1. हीजहाईनेस दी महाराजा साहब जोधपुर श्री गजेसिंहजी साहब ठिकाना उम्मेद भवन, जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह संख्या 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि वादी पक्ष जिस भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाना चाहता है वह भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में नये एवं पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 35/71 व 227/73 विचाराधीन है जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र में सुनवाई तारीख 30–06–2017 दर्शाई गई है। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अध्याय viii में धारा 36 के उपनियम 2 के अनुसार "किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को, भूमि के अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उस पर कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।" RRD 1991 Page 397 में माननीय न्यायालय द्वारा पेरा 7 में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस विचाराधीन वाद में आदेश 7 नियम 11 (घ) सी.पी.सी. के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।
नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..... शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख30... माह05...सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत................................

ओहदा.सहायक कलेक्टर पाली (राज.)

मुहर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पाली *

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

It is true that a person who is not a recorded tenant cannot bring a suit for permanent injunction but he can bring a suit for declaration as well as permanent injunction. (Para 7)

(d) Rajasthan Tenancy Act, Section 256 -

A person who was not a party to the ceiling proceedings (under Chapter IIIB- Old Ceiling Law) would not in any way be bound by the orders passed in such proceedings and the impugned orders passed behind his back would not come in his way in seeking a declaration of his khatedari rights or claiming the relief of possession or injunction as the case may be - This section only bars the jurisdiction of the civil court - It does not bar the jurisdiction of the revenue courts where any relief can be claimed by any suit under the provision of the Raj. Tenancy Act from any revenue court. (Paras 9, 10)

9. आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के संबन्ध में 2012 DNJ (SC) 734 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना भी उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार से है:-

(B) Civil Procedure Code, 1908 - O.7 R. 11 - Rejection of plaing - Power can be exercised at any stage of the suit - Only averments made in the plains can only bt considered - Defence plea taken in the written Statement are irrelevant. (Paras 6, 7)

Para 6. Since the appellant herein, as the first defendant before the trial Judge, filed application under Order VII Rule 11 of the Code for rejection of the plaint on the ground that it does not show any cause of action against his, at the foremost, it is useful to refer the relevant provision: Order VII Rule 11 of the Code:

"11. Rejection of plaint- The plaint shall be rejected in the following cases:-

(a) Where it does not disclose a cause of ation.
(b) Where the relief laimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within time to be fixed by the court, fails to do so;
(c) Where the relief claimed is properl valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the court, fails to do so;
(d) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
(e) Where it is not filed in duplicate;
(f) Where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9:

Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature for correcting the valuation or suplying the requsite stalmp-paper, as the case may be, whithin the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave infustice to the plaintiff."

It is clear from the above that where the plaint does not disclose a cause of action, the relief claimed is undervalued and not corrected within the time allowed by the Court, insufficiently stamped and not rectified within the time fixed by the Court, barred by any law, failed to enclose the required copies and the plaintiff fail to comply whth the provitions of Rule 9, the Court has no other option except to reject the same. Aredding of the above provision also makeds it clear that power under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised at any stage of the suit either before registering the plaint or after the issuance of summons to the defendants or at any time before the conclusion of the trial. This position was explained by this Court in saleem Bhai & Ors. Vs State of Maharashtra & Ors.,(2003) 1 SCC 557, in which, wile considering Order VII Rule 11 of the Code, it was held as under:

"9. A perusal of Order VII Rule 11 C.P.C. makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial Court can exercise the power under Order VII Rule 11 C.P.C. at any stage of the suit - before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Rule 11 of

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

Order VII C.P.C., the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage, therfore, adirection to file the written statement without deciding the application under Order VII Rule 11 C.P.C. cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdition by the trial Court......"

It is clear that in oredr to consider Order VII Rule 11, the Court has to look into the averments in the plaint and the same can be exercised by the trial Court at any stage of the suit. It is also clear that the averments in the written statement are immaterial and it is the duty of the Court to scrutinize the averments/pleas in the plaint. In other words, what needs to be looked into in deciding such an application are the averment in the plaint. At that stage, the pleas taken by the defendant in the written statement are wholly irrelevant and the matter is to be decided only on the plain averments. These principles have been reiterated in Raptakos Brett & co. Ltd. Vs. Ganesh Property, (1998) 7 SCC 184 and Mayar (H.K.) Vtd. & Ors. Vs. Owner & Parties, Vessel M.V. Fortune Express & Ors., (2006) 3 SCC 100.

7. It is also useful to refer the judgment in T. Arivandandam Vs. T.V. Satrapal & Anr., (1977) 4 SCC 467, wherein while considering the very same provision, i.e. Order VII Rule 11 and **the duty of the trial Court** in considering such application, this Court has reminded the trial Judges with the following observation:

> "5. ....**The learned Munsif must remember that if on a meaningful- for formal - reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under Order VII, Rule 11 C.P.C.** taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And if clever drafting has created the illusion of a cause of action nip it in the bud at the first hearing by examing the party searchingly under Order X, C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial Courts would insist imperatively on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code is also resourceful enough to meet such men, (Cr. XI) and must be triggered against them......"

It is clear that if the allegations are vexatious and meritless and not disclosing a clear right or material(s) to sue. it is the duty of the trial Judge to exercise his power under Order VII Rule 11. If clever drafting has created the illusion of a cause of action as observed by Krishna lyer j., in the above referred decsion, it should be nipped in the bud at the first hearing by examining the parties under Order X of the Code.

10. इस विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसे वादग्रस्त भूमि का आंवटन किया गया है तथा वह उक्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वक्त आंवटन से काबिज है इसलिए उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसकी खातेदारी की कृषि भूमि राजस्थान के किस कानून के तहत आंवटित की गई है इसका कोई वाद–पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी को वर्ष 1969 सौपना बता कर बिनायदावा प्रतिवादी के विरूद्ध उत्पन्न होना बताया गया है। वादी जिस दस्तावेज को आधार बना कर वाद प्रस्तुत किया गया है वह बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो ट्रांस्फर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के विपरित है। जहां तक विपरित कब्जे के आधार पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहा गया है उस संबन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की वृहत्त पीठ द्वारा आर.आर.टी. 2011(2) पेज 721 में प्रतिपादित किया गया है कि विपरित कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। इस विचाराधीन मामले में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अध्याय viii में धारा 36 के प्रावधानों को वर्णित कर वादी का वाद खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अध्याय – viii में धारा 36 के प्रावधान इस प्रकार से है:–

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

"36. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन**– (1) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को, किसी ऐसे प्रश्न अथवा मामले को विनिश्चित् करने या उस पर कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जिस पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विनिश्चिय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(2) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को, भूमि के अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उस पर कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।"

वादी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1985 पेज 97 के तथ्य इस विचाराधीन वाद के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने से वादी को इससे कोई सहायता नहीं मिल सकती क्योंकि उक्त नजीर में रेस्पों0 द्वारा समर्पित की गई भूमि से संबन्धित तथ्य है जो निर्णीत सीलिंग प्रकरण का है इसी प्रकार तथा आरआरडी 1991 पेज 397 में रेस्पों0 संख्या 2 विक्रमसिंह के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही में विक्रमसिंह द्वारा समर्पित की गई भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया इससे खुमानसिंह की खातेदारी भूमि भी अधिग्रहित हो गई जिससे नाराज होकर उक्त अपील प्रस्तुत हुई एवं इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपील इस आधार पर खारिज की गई कि सीलिंग कार्यवाही में अपीलांट पक्षकार नहीं था। माननीय न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 12 में फाईंडिंग दी है कि – After careful consideration of the matter, I am the view that even under the Act of 1973 the proper remedy for a third person is to file a suit for declaration, possession or injunction, as the case may be, section 36 bars the jurisdiction of civil or revenue courts only in respect of matters required to be decided of dealt with by the Authorised Officer. Declaration of khatedari of issue of injunction is not to be decided by ceiling autorities and therfore the juristidiction. So long as the plaintiff seeks a declaration of his khatedari or an injuction against the State there is no problem. But the plaintiff cannot question the correctness of the assessment is such a suit. जबकि इस विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 हिज हाईनेस दी महाराजा साहब जोधपुर श्री गजेसिंहजी साहब ठिकाना उम्मेद भवन, जोधपुर के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में पुराने एवं नये सीलिंग अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 35/71 व 227/73 विचाराधीन है जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र में सुनवाई तारीख 30–06–2017 दर्शाई गई है। वादी द्वारा जिस दस्तावेज कथित ग्रांटडीड को लेकर यह वाद धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है ऐसे दस्तावेज क संबन्ध में RRD 1991 Page 397 में माननीय न्यायालय द्वारा पेरा 7 में प्रतिपादित किया गया है कि **"It is clear that if the allegations are vexatious and meritless and not disclosing a clear right or material(s) to sue. it is the duty of the trial Judge to exercise his power under Order VII Rule 11. If clever drafting has created the illusion of a cause of action as observed by Krishna lyer j., in the above referred decsion, it should be nipped in the bud at the first hearing by examining the parties under Order X of the Code"** An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial Courts would insist imperatively on examining the party at the first hearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code is also resourceful enough to meet such men, (Cr. XI) and must be triggered against them......"

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है कि वादी पक्ष जिस भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाना चाहता है वह भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में नये एवं पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 35/71 व 227/73 विचाराधीन है जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र में सुनवाई तारीख 30–06–2017 दर्शाई गई है। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम् सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अध्याय viii में धारा 36 के उपनियम 2 के अनुसार "किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को, भूमि के अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उस पर कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।" RRD 1991 Page 397 में माननीय न्यायालय द्वारा पेरा 7 में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस विचाराधीन वाद में आदेश 7 नियम 11 (घ) सी.पी.सी. के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

यह आदेश आज दिनांक 20.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner